श्री स्वतंत्र देव सिंह, मा0 मंत्री जलशक्ति विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा अष्टभुजा गेस्ट हाउस, मीरजापुर में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जल जीवन मिशन के तहत नियमित जलापूर्ति में कतिपय कारणों से आ रही बाधाओं के निराकरण/निस्तारण के सम्बन्ध में

आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।

तिथि : 27.05.2026

समय : मध्यान्ह 12:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मीरजापुर

उपस्थिति : अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मीरजापुर।
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर।
समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
टीम लीडर (पी0एम0सी0), मीरजापुर।
श्री रंजन कुमार, डिप्टी प्रोजेक्टं मैनेजर (टी0पी0आई0), मीरजापुर।
समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

–: मुख्य ऐजेण्डा :–

सर्वप्रथम बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री स्वतंत्र देव सिंह, मा0 मंत्री जलशक्ति विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा अष्टभुजा गेस्ट हाउस, मीरजापुर में आयोजित बैठक दिनांक 23.05.2026 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वर्तमान के भीषण गर्मी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्बाध जलापूर्ति किये जाने में आ रही व्यवधानों का जमीनी स्तर से निराकरण/निस्तारण किये जाने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत होकर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम निराकरण/निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति करायें।

तद्क्रम में दिनांक 13.05.2026 को जनपद मीरजापुर में आयी आंधी–तूफान के बाद उत्पन्न हुई विद्युत समस्या तथा वर्तमान की भीषण गर्मी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भारी किल्लत का मुद्दा अत्यन्त गम्भीरता के साथ उठाया गया तथा उसके निस्तारण हेतु समीक्षा के दौरान समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) व अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र को निम्नलिखित सुझाव व निर्देश दिये गये :–

1. **भीषण गर्मी के दृष्टिगत नियमित/निर्बाध जलापूर्ति (विशेष बिन्दु)**

- **निर्देश :-** समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धकों को अत्यन्त कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया कि वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक गर्मी व लू-प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त ग्रामों में सुबह/शाम को रोस्टर के अनुसार शत्-प्रतिशत जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में पेयजल संकट के कारण ग्रामीणों को असुविधा होने तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत मिलने पर सम्बन्धित संस्था के स्टेट हेड/परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराते हुए संस्था को Black Listed किये जाने हेतु संस्तुति पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- **आकस्मिक व्यवस्था :-** जिन ग्रामों में तकनीकी खराबी के कारण पाइपलाइन से आपूर्ति बाधित है, वहाँ कार्यदायी संस्थायें तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरो के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

2. **बिजली कटौती की समस्या एवं डी0जी0 सेट (जनरेटर) से जलापूर्ति**

- समीक्षा के दौरान विभिन्न ग्रामों में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज तथा हाल ही में आयी आंधी-तूफान के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने से पेयजल सप्लाई प्रभावित होने की समस्या हुई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.05.2026 को विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्युत व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्क्रम में अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिशासी अभियन्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत व्यवस्था बहाल कराकर नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- **निर्देश :-** बैठक में उपस्थित जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि बिजली कटौती का बहाना बनाकर पानी की आपूर्ति कदापि प्रभावित नही होना चाहिए। जहाँ भी विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, वहाँ कार्यदायी संस्थायें अपने पम्पिंग स्टेशनों पर तत्काल डी0जी0 सेट (जेनरेटर) चलाकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे। इसके लिये सभी परियोजना प्रबन्धक जेनरेटरों को क्रियाशील तथा ईंधन (डीजल) की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

3. **खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग**

- **निर्देश :-** समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त ग्रामों का स्वयं एवं अपने विभाग के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराकर जलापूर्ति की वर्तमान स्थित, रोड रेस्टोरेशन, अवशेष नल कनेक्शन, मैनपावर/मशीनरी की स्थिति, विद्युत समस्या, जेनरेटर से जलापूर्ति न होना तथा अन्य कार्यो/समस्याओं से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट विकास खण्डवार अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त रिपोर्ट के आधार पर अवशेष कार्यो को पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति कराया जा सके।

4. **रोड रेस्टोरेशन (सड़क मरम्मत/नव निर्माण) कार्य का मानक के अनुरूप निस्तारण**

- निर्देश :- पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़को का मरम्मत/नवनिर्माण मानक के अनुसार नही कराया जा रहा है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है तथा आये दिन दुर्घटनाए घटित हो रही है। कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना

प्रबन्धकों को अन्तिम चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि जहाँ भी सड़के खोदी गई है, उन्हें तत्काल निर्धारित तकनीकी मानको के अनुरूप मरम्मत/नवनिर्माण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त का स्थलीय निरीक्षण करते हुए टी0पी0आई0 इसकी मानक/गुणवत्ता सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार लापरवाही अथवा मानक के अनुसार सड़क नही पाए जाने पर टी0पी0आई0 के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

5. <u>अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) के स्तर पर कार्यवाही</u>

- जल जीवन मिशन से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में निरन्तर निगरानी और त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक अपनी अध्यक्षता में आयोजित करें। वर्चुअल समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/(वि0/यॉ0) के अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता के साथ-साथ कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को सम्मिलित किया जाए। ताकि आपसी समन्वय से जलापूर्ति में आने वाली समस्याओं का निराकरण/निस्तारण कराया जाना सम्भव हो सके।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एक अत्यन्त संवेदनशील और आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक- 1118 /आ0लि0-नमामि गंगे-2026 दिनांक **05** जून, 2026

---000---

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मीरजापुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
9. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), मीरजापुर। (द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी)
10. टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
11. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

Digitally signed by
PAWAN KUMAR GANGWAR
Date: 05-06-2026
10:13:59

जिलाधिकारी
मीरजापुर।